न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश पंचम, गोपालगंज ।

रामाशंकर साह बनाम रामाशीष साह एवं अन्य

प्रोबेट वाद संख्या 23/2009

07.08.2019 प्रोबेटकर्ता की हाजरी दी गई । न्यायालय द्वारा बार–बार पुकार किया गया परन्तु न तो प्रोबेटकर्ता और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोबेटकर्ता मामले को जानबूझकर लम्बित रखना चाहते हैं या कोई रूची नहीं है ।

अतः न्यायाहित में प्रोबेटकर्ता का प्रोबेट वाद पैरवी के अभाव में ***खारिज*** किया जाता है ।

अपर जिला न्यायाधीश पंचम,

पश्चात 07.08.19 प्रोबेटकर्ता के तरफ से एक आवेदन दिया गया कि उनके विद्वान अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण पुकार पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और जब विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में आये तो ज्ञात हुआ कि वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया है । विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है तथा वाद खारिज होने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति है । इसलिए प्रोबेट वाद को पुनर्जीवित किया जाये ।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । चूंकि वाद आज ही खारिज हुआ है और आज आवेदक के तरफ से पुनर्जीवित करने का आवेदन प्राप्त हो गया है । इसलिए आवेदक का आवेदन मो0 100/– रूपया खर्चा पर स्वीकृत करते हुए प्रोबेट वाद पुनर्जीवित किया जाता है ।

दिनांक को वाद पत्र निर्धारण हेतु उभय पक्ष उपस्थित रहें ।

अपर जिला न्यायाधीश पंचम,